



## हल्द्वानी मामला: उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला ?

प्रश्न पत्र-2 (सामाजिक न्याय )

स्रोत- द हिन्दू

चर्चा में क्यों ?

- ☐ हाल ही में उत्तराखंड (UK) उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में भारतीय रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी।
- ☐ रेलवे की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, SC बेंच ने पुनर्वास की योजनाओं ,जो पहले से मौजूद हैं तथा उन लोगों को अलग करने की व्यावहारिक व्यवस्था पर जोर दिया, जिनके पास अधिकार नहीं हैं।

पृष्ठभूमि

- ☐ UK हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2022 में रेलवे को हल्द्वानी की गफूर बस्ती के निवासियों को वहाँ से विस्थापित होने के लिए एक सप्ताह का समय देने का निर्देश दिया, और उसके बाद अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने के लिए किसी भी हद तक बलों का उपयोग करने का निर्देश दिया।
- ☐ गफूर बस्ती के निवासियों के अनुसार 1907 के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, उनके पूर्वजों ने भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग से भूखंड खरीदे थे, जिसे विभाजन के बाद भारत छोड़ने वालों की संपत्ति सौंपी गई थी।
- ☐ HC के अनुसार 1907 का दस्तावेज केवल 'ऑफिस मेमोरेण्डम' था और भूमि के वर्गीकरण का निर्धारण करने के लिए यह अमान्य है।

हाईकोर्ट का रेलवे के पक्ष में फैसला

- ☐ HC के अनुसार रेलवे लाइन 1884 में एक कंपनी द्वारा रखी गई थी, और इसे बाद में 1943 में भारत सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया था।
- ☐ HC की कार्यवाही के दौरान, रेलवे ने एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य और रेलवे की भूमि के 4,365 कब्जेदारों को 'अनधिकृत' पाया , इसलिए उनके खिलाफ तत्काल निष्कासन प्रक्रिया की मांग की गई।
- ☐ विध्वंस और बेदखली के माध्यम से अतिक्रमण से निपटने का तरीका गरीबों को असमान रूप से प्रभावित करता है और सार्वजनिक नीति के रूप में विफल होने के साथ-साथ कमजोर जीवन के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बनता है।
- ☐ जबरन बेदखली, बिना किसी सार्थक सकारात्मक परिणाम के शैक्षिक, वित्तीय और आवासीय सुरक्षा के स्थलों से आवादी को हटाकर लोक कल्याण की मात्रा को कम कर देती है।
- ☐ यह शहरों में बेहतर आवास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे आदि की समस्याओं के समाधान की पेशकश की संरचनात्मक समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं देती है।

- ▣ गरीब वर्गों को बेदखल करना पक्षपातपूर्ण शासन कार्रवाई को प्रदर्शित करता है क्योंकि यह उच्च वर्ग को इससे बाहर करता है। जी.डी. बिड़ला समिति (1951) के अनुसार, अवैध शहरी स्थान (मलिन बस्तियाँ) कोई अपवाद नहीं थे, बल्कि राज्य की शहरी विकास की अपनी नीतियों के परिणाम थे।

### आगे की राह

- ▣ शहरी नियोजन की समग्र नीतियों, जो कई प्राधिकरणों - रेलवे, बिजली और जल बोर्डों के कारण खंडित नहीं हैं, की जरूरत है।
- ▣ इसके लिए शहर को केवल एक आर्थिक इकाई के बजाय जटिल सामाजिक आवश्यकताओं (यानी, एक सामाजिक इकाई) के साथ एक जीव के रूप में सोचने की आवश्यकता है।
- ▣ साथ ही, लंबे समय तक चलने वाले विवादों और बातचीत से बचने के लिए राज्य को भू-माफियाओं, भ्रष्ट नौकरशाहों और "अवैध" कब्जे के लिए अपनी जमीन बेचने वाले मूल भूस्वामियों से निपटने की रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है।

### मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न - हालांकि शहरीकरण को आर्थिक विकास का कारक माना जाता है, लेकिन अभी तक भारत अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाया है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

**THE STUDY**  
By **Manikant Singh**

**COMPREHENSIVE  
INTERVIEW  
PROGRAMME  
CIP- 2022**

MOCK INTERVIEW (Both Hindi & English Medium)

PANELISTS-Ex-Bureaucrats, Academicians & able guidance of MANIKANT SINGH

Comprehensive DAF Discussions  
(One to One Session)

Classes on Current Issues, Security & Relevant Issues

**INVITES**  
All Candidates Appearing for  
**UPSC  
Interview  
2022**

Contact Us  
7683076934  
9999516388

**THE STUDY  
BY MANIKANT SINGH**

[thestudyias@gmail.com](mailto:thestudyias@gmail.com)  
**MOB: 9999516388**